



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:—रालसा/स्टोर/एफ 9/2022-23/ 29955

दिनांक:— 10/11/2022

सीमित बोली-17

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012" के संबंध में एक राज्य स्तरीय कन्सलटेशन कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 20 नवम्बर, 2022 को किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में निम्न व्यवस्थाएं किये जाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित फर्मों से सीमित बोली बन्द लिफाफों में निम्न सारणी के अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.सं.	सामग्री विवरण	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	कैमरामेन	2	
2.	वीडियो केमरा	4	
3.	मिक्सर	As per order	
4.	लाइव स्ट्रीमिंग	As per order	
5.	संबंधित अन्य कार्य निर्देशानुसार		

उक्त बोली पर लगभग 1 लाख व्यय होने की संभावना है। बोली हेतु दरें संलग्न प्रपत्र में भरकर फर्म द्वारा प्रमाणित करवा बोली दिनांक 16.11.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त बोली उसी तिथि को दोपहर 02:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोले जावेगे।

बोली की शर्तें:-

1. बोली में प्रेषित दरों में सभी कर एवं चार्जज सम्मिलित होंगे।
2. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।
3. सामग्री की संख्या कम ज्यादा करने का प्राधिकरण को अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
5. सप्लाई संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
6. प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
7. आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार सप्लाई करनी होगी।
8. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:—रालसा/स्टोर/एफ 9/2022-23/ 29956-29957 दिनांक:— 10/11/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. संबंधित/रक्षित पत्रावली।

उप सचिव-प्रथम (स्टोर प्रभारी)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।